बिहार विधायिका सभा वादवृत्त

बृहस्पतिवार तिथि २२ दिसम्बर १९४९।

भारत शासन विधान १९३५ के प्रत्यावधान के अनुसार एकत्र विधायिका सभा का कार्य विवरण।

सभा की बैठक पटने के सभा-वेश्म में बृहस्पतिवार तिथि २२ दिसम्बर १९४९ को ११-३० बजे पूर्वान्ह में माननीय प्रमुख श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुई :

श्री झूलन सिंह : क्या सरकार बतलायगी कि सभी जेलों में कम खर्च है परन्तु भागलपुर जेल में १ लाख का खर्च है तो इस फर्क का कारण क्या है ?

माननीय प्रमुख : इसमें दूसरे दूसरे कारण हो सकते हैं ।

श्री झूलन सिंह : मेरा पूछना है कि जेलों में इतना खर्च करने का कारण क्या है ?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : कारण तो बता दिया है । उत्तर (क) देखें । कहीं जमीन ऊसर होती है, कहीं जमीन पर कम उपज होता है । जैसी जमीन है और जितनी जमीन है उसी तरह से उपज होती है । मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि जितना खर्च होता है उसी के मुताबिक उत्पादन होना चाहिये ।

श्री झूलन सिंह : हमारा सवाल है कि जेलों में सवा लाख से ज्यादा खर्च हो गया तो क्या यह बदइन्तजामी के कारण नहीं हो सकता है ?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : यह खर्च बहुत बातों पर निर्भर करता है । दूसरे जेलों में कैदी कम हैं और यहां भागलपुर में २००० से ३००० तक कैदी हैं ।

श्री जगन्नाथ सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि जैसी जमीन जेलों में है वैसी ही जमीन प्रायः ३५ फी सदी जमीन बाहर भी है और खाद देने से वहां पर उसी तरह की जमीन ज्यादा पैदा होती है ?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : सरकार को नहीं मालूम है ।

श्री जगन्नाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जेलों में खाद देकर वहां की उपज बढ़ाने का प्रयत्न कर दूसरों के लिये example बनायेगी ?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : उत्तर 'हां' है ।

श्री जगन्नाथ सिंह : I.G. के २६ फरवरी १९४७ के पत्रका परिणाम क्या निकला ?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : नोटिस चाहिये ।

भागलपुर और गया सेन्ट्रल जेल में १९४९ में बैलों के लिए भूसा और कैदियों के लिये अचार का बीजू आम की खरीद ।

१८६ । श्री रामबचावन राम । क्या माननीय प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भागलपुर और गया सेन्ट्रल जेल में १९४९ में बैलों के लिये भूसा और कैदियों के लिये अचार का बीजू आम किस दर से खरीदा गया और दोनों चीजों की स्थानीय दर क्या थी ?

माननीय डा० श्री कृष्ण सिंह :

विवरण मेज पर रखा हुआ है ।

	भागलपुर सेन्ट्रल जेल		गया सेन्ट्रल जेल
	जिलाधीश का दर	जेल द्वारा खरीदे गये ।	जिलाधीशका दर ।	जेल द्वारा खरीदे गये ।
बीजू आम	४ रुपये से ७ रु० ८ आने प्रति सैकड़ा ।	७ रुपये प्रति सैकड़ा	उपलब्ध नहीं	२ रुपए ८ आने प्रति सैकड़ा ।
भूसा	१० रुपए ८ आने ।	७ रुपए ८ आने फी मन ।	उपलब्ध नहीं	३ रु० १२ आने फी मन

श्री झुलस सिंह : गया में बीज आम २॥) प्रति सैकड़ा खरीदा गया तो भागलपुर में ७ रु० प्रति सैकड़ा क्यों खरीदा गया ?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : यह तो बाजार भाव पर निर्भर करता है : tender मंगाया जाता है और सब से कम भाव को मंजूर किया जाता है ।

श्री झूलन सिंह ; इससे भी तो कम rate है चार रुपया ?

माननीय प्रमुख : Maximum ८॥) रुपया है ।

श्री झूलन सिंह : क्या यह बात सही है कि गया सेन्ट्रल जेल में भूसा ३ रुपये १२ आने फी मन की दर से खरीदा गया और भागलपुर सेन्ट्रल जेल में ठीक उससे दूने दाम पर यानी ७ रुपये ८ आने फी मन की दर से खरीदा गया है ?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : यह सब चीजें टेण्डर कौल करके खरीदी जाती है । जिसका लोयेस्ट टेण्डर रहता है उसी को सरकार मंजूर करती है ।

श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या यह बात ठीक है कि भागलपुर जेल को पैदावार गया जेल से ज्यादा है ?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : पैदावार पर कोई सवाल नहीं उठती है ।

१८७ । श्री रामबसावन राम : क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हजारीबाग, गया, बक्सर और भागलपुर सेन्ट्रल जेलों में १९४९ में दतवन किस दर में खरीदा जा रहा है ?

माननीय डा० श्री कृष्ण सिंह :

विवरण मेज पर रखा है ।

	दतवन ।
हजारीबाग सेन्ट्रल जेल	१ रुपया १४ आने फी हजार ।
बक्सर सेन्ट्रल जेल	२ रुपये ८ आने से २ रुपये १२ आने फी हजार
भागलपुर सेंट्रल जेल	६ रुपए ८ आने फी हजार ।
गया सेन्ट्रल जेल	१ रुपए १२ आने फी हजार ।

अन्य चीजों की तरह दतवन की टेण्डर मांग कर और सस्ते दरोंपर प्राप्त करने के लिये डाक बोल कर, खरीद की जाती है और सुपरिंटेण्डेन्ट सब से कम दर का अनुमोदन करते हैं ।

भागलपुर शहर के आस-पास पहाड़ी इलाके तथा जंगल न रहने के कारण, जेल की मांग के अनुसार हर रोज दतवन सस्ते दर पर नहीं मिल सकता है ।

श्री झूलन सिंह : क्या कारण है कि भागलपुर सेन्ट्रल जेल में दतवन ६ रुपए ८ आने फी हजार और गया सेन्ट्रल जेल में १ रुपए १२ आने फी हजार मिलता है ?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : गया जंगल से नजदीक है और भागलपुर जंगल से सदूर है ।

श्री झूलन सिंह : क्या भागलपुर सेन्ट्रल जेल के सुपरिंटेण्डेन्ट की बदइन्तजामी कारण है ?